

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मेवरी

बनाम सरोज देवी

दावा बाबत :- RETRACT

मुकदमा नम्बर :- 239/2020


निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं० 152 की ओर से वकील शिवान सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

सरोज देवी को खाला सं० 170/203 के खसरा सं० 244 प21 कुल 10.09 हे० वारानी कृषि में प्रतिवादी सं० सरोज देवी व प्रतिवादी सं० पवन कुमार के नाम 1.64-2/3 हे० खसरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वारानी राजस्व रिकार्ड में सं० 0.06 हे० खेतवारी कृषि भूमि सरोज देवी व पवन कुमार के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर 0.06 हे० कृषि भूमि की वादिया मेवरी पत्नी प्रहलाद कुमार को खेतवार काब्रतदार व शेख 1.576-2/3 हे० कृषि भूमि की प्रतिवादी सं० सरोज देवी व प्रतिवादी सं० पवन कुमार को खेतवार काब्रतदार घोषित किया जावे यदि कृषि भूमि बक के रखे हो तो रखभू होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अमल कराया किया जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
(शिविर प्रभारी)  
शकुन्तला चौधरी (फास्ट ट्रैक) भादरा  
प्र.गा. के संग अ.-2021  
कैम्प  
07/11/21